(राजस्थान सरकार)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना जिला झुंझुनूं

ठासीन अधिकारीः– सुमन देवी II, आर.ए.एस.

जस्व वाद संख्या – 100 / 20119 जीसीएमएस नम्बर – 2019 / 00814

1. रामबिलास पुत्र माडुराम उम्र 46 साल
2. राजकुमार पुत्र ईश्वर सिंह उम्र 23 वर्ष समस्त जाति अहीर निवासी रसुलपुर अहीरान तहसील बुहाना जिला झुंझुनू राज0

....................वादीगण

बनाम

1. अड़ीसाल पुत्र गोपाल उम्र 60 साल जाति जाट निवासी देवलावास तहसील बुहाना जिला झुंझुनू राज0
2. नाथाराम पुत्र शंकरलाल उम्र 62 जाति अहीर निवासी रसुलपुर अहीरान तहसील बुहाना जिला झुंझुनू राज0
3. रणधीर पुत्र सुभाष उम्र 55 साल जाति जाट निवासी देवलावास तहसील बुहाना जिला झुंझुनू राज0
4. राजेन्द्र पुत्र सुभाष उम्र 50 साल जाति जाट निवासी देवलावास तहसील बुहाना जिला झुंझुनू राज0
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बुहाना तहसील बुहाना जिला झुंझुनू राज0

..................प्रतिवादीगण

दावा– खाता विभाजन व रिकार्ड दुरुस्ती

–: निर्णय :–

निर्णय दिनांक :– 02.06.2025

वादीगण की ओर से वाद पत्र निम्न प्रकार से पेश है–

1. यह कि वाके ग्राम देवलावास तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं राज0 मे स्थित भूमि के हाल ख0 न0 792 / 557 रकबा 0. ख0 न0 558 रकबा 0.51है0 ख0 न0 559 रकबा 0.62है0 ख0 न0 13है0 के खातेदार कास्तकार अड़ीसाल पुत्र गोपाल जाति जाट निवासी देवलावास

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Devi
Date: 2025.07.02 12:18:39 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुंझुनूं (राज.)

हिस्सा 78/1507, नाथाराम पुत्र शंकरलाल उम्र 62 जाति अहीर निवासी रसुलपुर अहीरान 2/11 भाग, रणधीर पुत्र सुभाष उम्र 55 साल जाति जाट निवासी देवलावास हिस्सा 1/11 भाग, राजेन्द्र पुत्र सुभाष उम्र 50 साल जाति जाट निवासी देवलावास हिस्सा 1/11 भाग, रामबिलास पुत्र माडुराम जाति जाट निवासी रसुलपुर हिस्सा 1/22 भाग, रामबिलास पुत्र माडुराम जाति जाट निवासी रसुलपुर हिस्सा 372/1507 भाग, सोनू पुत्र ईश्वर सिंह जाति जाट निवासी रसुलपुर हिस्सा 1/22 भाग, सोनु पुत्र ईश्वर सिंह जाति जाट निवासी रसुलपुर हिस्सा 372/1507 भाग, सम्वतं 2075 ल0 2078 दर्ज रिकार्ड है।

2. यह कि राजस्व कर्मचारियों की लिपिकिय गलती से वादी स0 1 की जाति जाट तथा वादी स0 2 का नाम सोनु पुत्र ईश्वर सिंह जाति जाट निवासी रसुलपुर दर्ज कर दिया। तथा प्रति0 स0 2 की जाति जाट तथा प्रति0 1, 3, व 4 के गॉव का नाम रसुलपुर दर्ज कर दिया जो गलत दर्ज कर दिया। वादी स0 1 की जाति जाट ना होकर अहीर है तथा वादी स0 2 का वास्तविक नाम राजकुमार पुत्र ईश्वर सिंह जाति अहीर है। जबकि जमाबन्दी में सोनू पुत्र ईश्वर सिंह जाति जाट दर्ज कर दिया जो गलत दर्ज कर दिया। गॉव में वादी स0 2 को उप नाम से सोनू कह कर बुलाते थे इसलिए उसका नाम जमाबन्दी में सोनु पुत्र ईश्वर सिंह दर्ज कर दिया जिसे दुरुस्त किया जाकर राजकुमार पुत्र ईश्वर जाति अहीर दर्ज किया जाना आवश्यक है तथा वादी स0 1 की जाति जाट की बजाय जाति अहीर दर्ज किया जाना आवश्यक है। इसलिए यह रिकार्ड दुरुस्ती का दावा पेश किया जा रहा है।

3. यह कि वादीगण अपनी कास्त की उन्नती करना चाहते है जिसके लिए खाता विभाजन भी करवाना चाहते है। जिससे वादीगण अपनी कास्त की उन्नती कर सके। इसलिए वादीगण की ओर से खाता विभाजन का दावा भी पेश किया जा रहा है।

4. यह कि दावे के लिए आधार विवाद रिकार्ड की नकल लेने के गत 5 रोज पूर्व जानकारी होने से पैदा हुआ। अतः दावा सावधि पेश है। वैसे भी कानून में खाता विभाजन व रिकार्ड दुरुस्ती हेतु मियाद निर्धारित नही है।

5. यह कि विवादित भूमि वाके ग्राम देवलावास तहसील बुहाना जिला झुंझुंनू राज0 में स्थित है जो कि न्यायालय श्रीमान के क्षेत्राधिकार में स्थित है इसलिए न्यायालय श्रीमान को यह वाद सुनने का श्रवणाधिकार प्राप्त है।

6. यह कि राजस्थान कास्तकारी अधिनियम के तृतीय परिशिष्ट में वाद रिकार्ड दुरुस्ती व खाता विभाजन हेतु एक-एक रुपये कोर्ट फीस पर सहायक कलेक्टर के यहा पेश करना दर्ज है। इसलिए यह वाद 2 रुपये कोर्ट फीस पर न्यायालय श्रीमान के समक्ष पेश है।

7. यह कि आज दिनांक तक रिकार्ड अपडेट है। [illegible] शपथ पत्र संलग्न है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Devi
Date: 2025.07.02 12:18:39 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

अतः वाद पत्र पेश कर अर्ज है कि–

(क) कि वाके ग्राम देवलावास तहसील बुहाना जिला झुंझुनू राज0 में स्थित भूमि के हाल ख0 न0 558 रकबा 0.51है0 ख0 न0 559 रकबा 0.62है0 ख0 न0 792/557 रकबा 0.13है0 में वादी स0 1 की जाति जाट की बजाय जाति अहीर दर्ज की जावे तथा वादी स0 2 का नाम दुरुस्त कर सोनु पुत्र ईश्वर सिंह जाति जाट के बजाय राजकुमार पुत्र ईश्वर जाति अहीर दर्ज किया जावे।

(ख) कि विवादीत भूमि ख0 न0 558, 559 व 792/557 में से वादीगण के 1762/3014 का खाता विभाजन किया जाकर अलग लगान कायम किया जावे।

(ग) कि अन्य अनुतोष आयाचित रह गया हो न्यायालय उचित समझे दिलवाया जावे।

(घ) कि हर्जा खर्चा दावा दिलवाया जावे।

वादी की ओर से साक्ष्य दस्तावेज में नकल जमाबंदी सम्वत् 2075–78, नक्शा ट्रेस, मार्कशीट श्री राजकुमार, अंकतालिका श्री राजकुमार, आधार कार्ड श्री राजकुमार पेश किए गए।

दावा दर्ज पंजिका कर प्रतिवादीगण की तलबी की गई। सभी प्रतिवादीगण की सम्यक तामिल हुई। प्रतिवादीगण बावजूद सम्यक तामील के अनुपस्थित रहने पर इनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। व प्राथमिक डिक्री दिनांक 01.04.2022 को की गई। तथा तहसीलदार बुहाना को विभाजन प्रस्ताव हेतु इस कार्यालय के पत्रांक 198 दिनांक 22.03.2023 के द्वारा भिजवाया गया। तहसीलदार बुहाना के पत्रांक 1125 दिनांक 22.05.2024 के द्वारा विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हुए शामिल पत्रावली हुए विभाजन प्रस्ताव का अध्ययन किया गया प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा खाता विभाजन, विभाजन प्रस्ताव अनुसार करने हेतु निवेदन किया ।

बहस के अनुसार ,शपथ पत्र , दस्तावेज, सहमति से प्राप्त कुर्रे प्राप्त पर कोई ऐतराज नही किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात, वादपत्र के अभिवचनों का ध्यान पूर्वक अवलोकन एवं मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध जमाबंदी संवत् 2075–2078 वाके ग्राम देवलावास [illegible] खाता संख्या 183 में वादीगण के दर्ज हिस्से व मौका कब्जे काश्त अनुसार वाद [illegible] कर अंतिम डिक्री किया जाना न्यायोचित पाया जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Devi
Date: 2025.07.02 12:18:39 IST
Reason: SelfAttested

अधिकारी बुहाना
झुन्झुनूं (राज.)

राजस्व वाद संख्या 100/2019
[illegible]
निर्णय दिनांक [illegible]

–:: आदेश ::–

" न्यायालय वाद वादीगण डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः बाके ग्राम देवलावास तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं राज0 में स्थित भूमि के हाल ख0 न0 558 रकबा 0.51 है0, ख0 न0 559 रकबा 0.62 है0, ख0 न0 792/557 रकबा 0.13 है0, भूमि खाता विभाजन कर लगान अलहेदा कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। ख0 न0 558 रकबा 0.51 है0, ख0 न0 559 रकबा 0.62 है0, ख0 न0 792/557 रकबा 0.13 है0, में सोनू पुत्र ईश्वर जाति अहीर सा. रसूलपुर के स्थान पर " **राजकुमार पुत्र ईश्वर**" नाम दुरूस्त किये जाने के आदेश दिये जाकर वादीगण का खाता एवं लगान विभाजन मुताबिक विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श "अ–1 लगायत अ–3" व नक्शा प्रदर्श "ब–1" के वाद को अंतिम डिक्री किया जाना उचित पाता है। अतः मुताबिक तहसीलदार बुहाना से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श "अ–1 लगायत अ–3" व नक्शा प्रदर्श "ब–1" के अलग–अलग खाता कायम किया जाकर आनुपातिक लगान अलग–अलग कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श "अ–1 लगायत अ–3" व नक्शा प्रदर्श "ब–1" इस निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार बुहाना को रिकॉर्ड में अमल करने हेतु लिखा जावे। रहन यदि कोई हो तो सम्बन्धित खातेदार काश्तकार को प्राप्त होने वाले रकबे/हिस्से/खसरा नम्बर के हिस्से में दर्ज किया जावे। पर्चा डिक्री जारी हो। "

उपखण्ड अधिकारी बुहाना
(जिला झुन्झुनूं (राज.)) एवं
पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना

अधिकारी
जिला झुंझुनूं (राज.)

निर्णय आज दिनांक 2/6/25 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर इस न्यायलय के मुद्रांकित सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी बुहाना
(जिला झुन्झुनूं (राज.)) एवं
पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना

Signature Not Verified

Digitally signed by Suman Devi
Date: 2025.07.02 12:18:39 IST
Reason: SelfAttested

मूल वाद में अंतिम डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)

पीठासीन अधिकारी:– सुमन देवी II, आर.ए.एस.

राजस्व वाद सं.– 100/2019 जीसीएमएस नम्बर – 2019/00814

रामबिलास आदि बनाम अड़ीसाल आदि

दावा बाबत –खाता विभाजन एवं रिकार्ड दुरूस्ती

–निर्णय:–

वादी की ओर से श्री विजयपालसिंह यादव एडवोकेट की उपस्थित मे एवं प्रतिवादीगण की अनुपस्थिति में इस वाद को श्री सुमन देवी II उपखण्ड अधिकारी, बुहाना के समक्ष अंतिम निस्तारण के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और अंतिम डिक्री दी जाती है कि–

" न्यायालय वाद वादीगण डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः वाके ग्राम [illegible] तहसील बुहाना जिला झुंझुनू राज0 में स्थित भूमि के हाल ख0 न0 558 रकबा 0.61 है0, ख0 न0 559 रकबा 0.62 है0, ख0 न0 792/557 रकबा 0.13 है0, भूमि खाता विभाजन कर लगान अलहेदा कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। ख0 न0 558 रकबा 0.61 है0, ख0 न0 559 रकबा 0.62 है0, ख0 न0 792/557 रकबा 0.13 है0, में [illegible] पुत्र ईश्वर जाति अहीर सा. रसूलपुर के स्थान पर " राजकुमार पुत्र ईश्वर" नाम दुरूस्त किये जाने के आदेश दिये जाकर वादीगण का खाता एवं लगान विभाजन मुताबिक विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श "अ–1 लगायत अ–3" व नक्शा प्रदर्श "ब–1" के वाद की अंतिम डिक्री किया जाना उचित पाता है। अतः मुताबिक तहसीलदार बुहाना से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श "अ–1 लगायत अ–3" व नक्शा प्रदर्श "ब–1" के अलग-अलग खाता कायम किया जाकर आनुपातिक लगान अलग–अलग कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श "अ–1 लगायत अ–3" व नक्शा प्रदर्श "ब–1" इस निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार बुहाना को रिकॉर्ड में अमल करने हेतु लिखा जावे। रहन यदि कोई हो तो सम्बन्धित खातेदार काश्तकार को प्राप्त होने वाले रकबे/हिस्से/खसरा नम्बर के हिस्से में दर्ज किया जावे। पर्चा डिक्री जारी हो। "

खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

आज दिनांक 2.6.25 को मेरे हस्ताक्षर [illegible] मुहर लगाकर दी गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Devi
Date: 2025.07.02 12:18:39 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी बुहाना
[illegible] झुंझुनूं (राज.) एवं
पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना